

12/01/2023

पञ्जाबी पत्र (डी) इलेक्ट्रॉनिक सामग्री
उत्पादन के अन्तर्गत पञ्जाबी का इलेक्ट्रॉनिक
उत्पादन का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री
की श्रेणी पर उद्योगों से अलग किया।
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के उत्पादन पर
वर्धित दरों को दोहराने हुए कथन किया
कि प्राप्त पत्रों का दोहराना पर
नियम अन्तर्गत सामग्री 65 अन्तर्गत 0.147 है
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के उत्पादन 1 के साथ
सम्बन्धित बातें से एक प्रकार है निम्न
उपर्युक्त पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत उत्पादन
का है। निम्नलिखित उक्त पत्रों से उक्त
दिए गए उद्योगों पर उक्त पत्रों के
अन्तर्गत उत्पादन को अन्तर्गत निम्नलिखित

2/

(सामान्य/खटीक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

Xi... ..

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

B

27/2

लत काठारिह मुकाम अखरी
 बनाना अखरी
 कहमा डी. पत्र नं. 465 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
X	<p>से मूल वार के निस्तारण तक पदर किए जाने का इच्छा उदात्त कारवाही इच्छिवरत प्रयोगिक से आधिक इच्छात आर आर डी 2018 पेज 665 एवं आर आर डी 2017 पेज 468 प्रस्तुत किए। इच्छिवरत प्रयोगिक ने अपने जवाब में उचित तर्कों को दोहराते हुए कथित किया कि (विपक्षीय) जैत बहल कारवाही में सह स्वयंसेवक है और अपने एक हिलसे पर नियमित रूप से कार्य होता उल्लेख पुत्र काशत करते चले आ रहे हैं। अतः जवाब लंबीकार परामर्श जाकर प्रयोगिक पत्र जारी प्रामाण्य जावे। अक्षिवरत प्रयोगिक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणिक इच्छात प्रस्तुत प्रकल्प में पक्ष्य नष्ट होते हैं। प्रस्तुत प्रयोगिक पत्र के अन्तर्गत वार मध्य 188 R-18 के तहत है। सह स्वयंसेवक के विरुद्ध इच्छात निवेद्याजा जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रयोगिक को प्रयोगिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. डी. ए. (विपक्ष) योग्य नहीं होते से जारी किया जाना है। निष्पत्ति (लिखित) जाकर प्रामाण्य गया। पत्रवली कोशल शुभा। दोष गम्बर से कम हो।</p>	

(रामचन्द्र खटीक)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़